छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा तृतीय सत्र अंक-02

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 23 जुलाई, 2024

(श्रावण 1, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06 एवं 07 (कुल 07) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 69 तारांकित एवं अतारांकित 80 प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. अध्यक्षीय निर्देश

तारांकित प्रश्न संख्या 04 पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि एक विषय जो माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर जी ने उठाया था तो बजट में जो भी कार्य सम्मिलित होता है और उसके बाद पूर्ण होने और समस्त प्रक्रियाओं में लगने वाली अवधि यह एक सामान्य प्रक्रिया है, इसके संबंध में माननीय मंत्री जी सभी विधायकों को सत्र के बाद पूरी जानकारी फीड कर देंगे। एक बार बैठकर आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करा देंगे।

3. विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण "एक पेड़ मॉं के नाम"

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि पर्यावरण सरंक्षण एवं संवर्द्धन की दिशा में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिनांक 05 जून, 2024 को **"एक पेड़ मॉं के नाम"** अभियान की शुरूआत की गई है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में विधान सभा सचिवालय स्थित आवासीय परिसर के समीप "एक पेड़ मॉ के नाम" अभियान के तहत वन विभाग के सहयोग से गुरूवार दिनांक 25 जुलाई, 2024 को दोपहर 1.30 बजे से 3.00 बजे तक पौधरोपण किया जाना है।

आप समस्त सदस्यों से आग्रह है कि उक्त कार्यक्रम में पौधरोपण करने हेतु सम्मिलित होने का कष्ट करें।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023,

(2) श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह) ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का ग्यारहवां वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022,

(3) श्री श्याम बिहारी जायसवाल, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 43 की अपेक्षानुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2022-23 (दिनांक 01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023 तक),

(4) श्री दयालदास बघेल, खाद्य मंत्री ने वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन अधिनियम, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2021-2022,

(5) श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2022-23, **तथा**

(6) श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित की अंकेक्षण टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष (2022-23),

पटल पर रखे ।

5. पृच्छा

माननीय सदस्य सर्वश्री भूपेश बघेल, उमेश पटेल, श्रीमती संगीता सिन्हा,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री कवासी लखमा, ब्यास कश्यप, दलेश्वर साहू, द्वारिकाधीश यादव, कुंवर सिंह निषाद, राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री अटल श्रीवास्तव, रामकुमार यादव, श्रीमती चातुरी नंद

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल सदस्य द्वारा प्रदेश में किसानों को अमानक खाद-बीज, कीटनाशक एवं बिजली कटौती की समस्या संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई ।

6. स्थगन प्रस्ताव

प्रदेश में किसानों को अमानक खाद-बीज, कीटनाशक एवं बिजली कटौती की समस्या

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रदेश में किसानों को अमानक खाद-बीज कीटनाशक एवं बिजली कटौती की समस्याओं के संबंध में 34 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की प्राप्त सूचनाओं में से श्री भूपेश बघेल, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त होने से पढ़ी गई ।

श्री रामविचार नेताम, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

सर्वश्री भूपेश बघेल, उमेश पटेल सदस्य ने पुन:श्च स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य कर चर्चा कराये जाने की मांग की।

माननीय अध्यक्ष ने शासन का वक्तव्य एवं माननीय सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आये।)

7. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250(1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण, सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

श्री भूपेश बघेल, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री उमेश पटेल, लखेश्वर बघेल, दलेश्वर साहू, भोलाराम साहू, लालजीत सिंह राठिया, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, सर्वश्री दिलीप लहरिया, रामकुमार यादव, द्वारिकाधीश यादव, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती संगीता सिन्हा, सर्वश्री कुंवर सिंह निषाद, देवेन्द्र यादव, श्रीमती यशोदा निलांबर वर्मा, श्री इन्द्रशाह मण्डावी, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्री विक्रम मंडावी, श्रीमती विद्यावती सिदार, सर्वश्री फूल सिंह राठिया, अटल श्रीवास्तव, राघवेन्द्र कुमार सिंह, ब्यास कश्यप, बालेश्वर साहू, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती चातुरी नंद, सर्वश्री संदीप साहू, इन्द्र साव, जनक ध्रुव, ओंकार साहू, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल ।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें।

(1.20 बजे से 3.00 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

8. निलंबन अवधि समाप्ति की घोषणा

माननीय सभापति ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के तहत निलंबित माननीय सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

9. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री राजेश मूणत सदस्य ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा बिना निविदा एवं कार्यादेश के टी-शर्ट एवं टोपी की खरीदी किये जाने की ओर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री टंकराम वर्मा, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

(2) श्रीमती अनिला भेंडिया, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी सदस्य ने प्रदेश की आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी टू ईट वितरण का सुचारू रूप से संचालन नहीं किये जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

10. बहिर्गमन

(श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट होकर बहिर्गमन किया गया।)

11. नियम 267-क के अन्तर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री अजय चन्द्राकर

(2) श्री बघेल लखेश्वर

(3) श्री रोहित साहू

(4) श्रीमती अनिला भेंडिया

12. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गयीः-

(1) श्री धरमलाल कौशिक

(2) श्री अजय चन्द्राकर

13. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि-अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है । अत: मैं माननीय वित्त जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 55, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 79, एवं 81 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर सात हजार तीन सौ उनतीस करोड़, पैंतीस लाख, बांसठ हजार, सात सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री उमेश पटेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
श्री अजय चन्द्राकर,

माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर ने जो आरोप लगाये हैं। किसी भी सदस्य के खिलाफ यदि आप आरोप लगाते हैं तो क्या विधान सभा सचिवालय को इसकी लिखित सूचना दी गई है और क्या विधान सभा सचिवालय से इसकी अनुमति मिली है ?

माननीय अध्यक्ष ने इस पर व्यवस्था दी कि माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल ने जो प्रश्न उठाया है, वह मैं पूरे ध्यान से सुन रहा था। श्री अजय चन्द्राकर जी ने अपने भाषण के दौरान किसी भी सदस्य का नाम नहीं लिया है। इसलिए इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य नारे लगाये गये।)

(लगातार व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 4.47 बजे स्थगित की जाकर 4.59 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

14. पृच्छा

मानननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल ने कथन किया कि माननीय सदस्य द्वारा व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया, यह बेहद दुर्भाग्यजनक है । वे इसके लिए इस सदन से क्षमा मांगे तथा अपना वक्तव्य वापस लें।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि माननीय सदस्य काफी वरिष्ठ हैं चर्चा के दौरान बहुत सारी बातें आतीं हैं, कुछ व्यंग्यात्मक बातें आ जाती हैं, उनकी बातों से सदस्यों को आहत होने जैसा महसूस हुआ। मुझे लगता है कि इससे सदन की गरिमा बढ़ेगी और आप जितने वरिष्ठ हैं, कुछ कहना चाहें तो मुझे अच्छा लगेगा।

माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर ने खेद व्यक्त करने से इन्कार करते हुए इस विषय की चर्चा को संशोधित/विलोपित करने हेतु माननीय अध्यक्ष के विवेक पर छोड़ने का कथन किया ।

15. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि मुझे लगता है कि जिस विषय को लेकर श्री अजय चन्द्राकर जी ने कुछ विषय का उल्लेख किया, जो लगता है कि आप लोगों को ठेस पहुंचाने वाली है। मैं उसको देखकर कार्यवाही से निकलवा दूंगा।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने कथन किया कि यह पहली बार नहीं है, जब तक माननीय सदस्य क्षमा नहीं मांगेंगे कांग्रेस विधायक दल माननीय सदस्य अजय चन्द्राकर जी किसी भी सत्र में भाषण देंगे, हम उनके भाषण का बहिष्कार करेंगे।

16. बहिष्कार

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने श्री अजय चन्द्राकर सदस्य द्वारा प्रयुक्त कथन व क्षमा न मांगने के विरोध में

(श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने श्री अजय चन्द्राकर सदस्य द्वारा प्रयुक्त कथन एवं क्षमा नहीं मांगने के विरोध में उनके भाषण का बहिष्कार किया ।)

17. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमश:)

सर्वश्री अटल श्रीवास्तव, धर्मजीत सिंह,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से आज की कार्य सूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की ।)

श्रीमती अनिला भेंडिया, श्रीमती भावना बोहरा,

(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेण्डी) पीठासीन हुए।)

श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री अनुज शर्मा, श्रीमती संगीता सिन्हा, सर्वश्री सुशांत शुक्ला, रामकुमार यादव, नीलकण्ठ टेकाम, कुंवर सिंह निषाद, मोतीलाल साहू, देवेन्द्र यादव, गुरू खुशवंत साहेब,

(लगातार व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 7.46 बजे स्थगित की जाकर 7.55 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, गजेन्द्र यादव, भूपेश बघेल,

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

18. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2024 (क्रमांक 7 सन् 2024)

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2024 (क्रमांक 7 सन् 2024) पुर: स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2024 (क्रमांक 7 सन् 2024) पर विचार किया जाये ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खण्ड 2,3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2024 (क्रमांक 7 सन् 2024) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

रात्रि 9.38 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 24 जुलाई, 2024 (श्रावण 2, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा